

Act No. 38 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 12

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन
विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है।

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ।

(2) यह 22 अक्टूबर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 12 OF 2013

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT
BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Indus International University
(Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 1 of 2010).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.


Short title
and
commence-
ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 22nd day of October, 2009.


2. In section 41 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2009, in sub-section (2), in the proviso, for the words "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

Amendment
of section
41.

मैं, "इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 12)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।


राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल ने "इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 12)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।


सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।